

कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या—६/१/एल.टी./परीक्षा/ई-६/२०१७-१८ टी.सी.—९
प्रयागराज: दिनांक १७ जून, २०२१

ऑनलाइन विज्ञाप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की गयी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) परीक्षा 2018 के आधार पर सहायक अध्यापक वाणिज्य (पुरुष) विषय के पद पर चयनित ०१ अभ्यर्थी के अभ्यर्थन निरस्त के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों का परिणाम औपबंधिक रूप से दिनांक २७ फरवरी, २०२१ को जारी किया जा चुका है। उक्त कम में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी का सत्यापन दिनांक ०५-०७-२०२१ को निर्धारित है।

- सत्यापन कार्यक्रम निम्नवत् है:-

सहायक अध्यापक वाणिज्य पुरुषः— सत्यापन पूर्वान्ह 10:00 से 1:00 बजे तक
अनुक्रमांक—३४७२००,

२—विज्ञापन के अनुसार प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न हैं—

(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि।

(दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष की उपाधि।

३—औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी से सम्बन्धित आवेदन—पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना—पत्रक, अंकतालिका तथा अन्य अभिलेख आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। समस्त औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उपर्युक्त अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं, वे इसे डाउनलोड कर एवं पूर्णतः भरकर निम्न अभिलेखों को उसके साथ संलग्न कर दो प्रतियों के साथ अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय के परीक्षा हाल के प्रथम तल पर पूर्वान्ह 10:०० बजे से अपरान्ह १:०० बजे के मध्य उपस्थित हों। अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित न होने पर यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, अतः उसका परीक्षा परिणाम/अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा और आयोग उक्त रिक्त पद के सापेक्ष अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है—

१—हाईस्कूल अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

२—इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

३—प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तथा शिक्षा स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

४—आरक्षण एवं स्थाई निवास के दावे के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां।

५—सरकारी सेवक/कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

६—दो पासपोर्ट साइज नवीनतम् फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो बिना प्रमाणित फोटोग्राफ आवेदन पत्र के शीर्ष पर चर्पा कर उक्तानुसार उपस्थित हों।

नोटः—ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक, शिक्षा स्नातक एवं अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में नाम/पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें।

२—उपरोक्त कार्यक्रमानुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत निम्न बातों का ध्यान रखना अतिआवश्यक होगा—

(क) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर मास्क पहन कर ही आयोग में उपस्थित हों एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान यथा बैग, ब्रीफकेश इत्यादि न लायें।

(ख) अभ्यर्थी से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाये गये सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है, तथा उनको आपस में मिलना जुलना एवं नजदीक नहीं बैठना है।

(ग) आयोग के गेट नं०-२ पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को हैण्डवास एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा। हैण्डवास एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आयोग परिसर में प्रवेश करें।

(अरविन्द कुमार मिश्र)

परीक्षा नियंत्रक।